"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 293]   रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2013—आषाढ़ 25, शक 1935

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2013 (आषाढ़ 25, 1935)

क्रमांक-8759/विधान/2013.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 59 के अधीन छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2013 (क्रमांक 28 सन् 2013) पुरःस्थापन के पूर्व जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक
(क्रमांक 28 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-3) विधेयक, 2013

वित्तीय वर्ष 2013-2014 की सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक.

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिये राज्य की संचित निधि में से 21,05,10,18,500/- रुपयों का दिया जाना.

2. छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां संदत्त तथा उपयोजित की जा सकेंगी, जिनका कुल योग छत्तीसगढ़ विनियोग अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट उन राशियों को सम्मिलित करते हुए इक्कीस सौ पांच करोड़ दस लाख अट्ठारह हजार पांच सौ रुपये होता है उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान भुगतान किये जाने होंगे.

विनियोग.

3. इस अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

अनुसूची
(धारा 2 और 3 देखिये)

अनुदान का संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
			विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
(1)	(2)			(3)	
			रुपये	रुपये	रुपये
..	भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा.	राजस्व	0	1,90,30,00,000	1,90,30,00,000
01	सामान्य प्रशासन	राजस्व	3,41,53,000	30,00,000	3,71,53,000
02	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	1,40,01,300	0	1,40,01,300
03	पुलिस	राजस्व	31,35,38,400	5,50,00,000	36,85,38,400
04	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	39,97,000	0	39,97,000
05	जेल	राजस्व	4,51,300	0	4,51,300

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
06	वित्त विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	100	0	100
07	वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	5,44,000	0	5,44,000
08	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	43,70,000	16,000	43,86,000
09	राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	1,13,00,000	0	1,13,00,000
10	वन	राजस्व	1,12,40,100	60,00,000	1,72,40,100
11	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	15,36,00,000	0	15,36,00,000
12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	12,50,00,000	0	12,50,00,000
13	कृषि	राजस्व	18,50,00,500	0	18,50,00,500
		पूंजी	10,00,00,000	0	10,00,00,000
14	पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	4,92,50,000	0	4,92,50,000
16	मछली पालन	राजस्व	2,59,57,000	0	2,59,57,000
17	सहकारिता	राजस्व	1,00,00,100	0	1,00,00,100
18	श्रम	राजस्व	24,50,300	0	24,50,300
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	16,02,50,000	0	16,02,50,000
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	1,81,91,000	0	1,81,91,000
23	जल संसाधन विभाग	पूंजी	10,03,75,000	0	10,03,75,000
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	पूंजी	16,92,42,200	0	16,92,42,200
25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	12,00,000	0	12,00,000
26	संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	50,00,000	0	50,00,000
27	स्कूल शिक्षा	राजस्व	12,56,50,100	0	12,56,50,100
		पूंजी	1,97,10,000	0	1,97,10,000
28	राज्य विधान मंडल	राजस्व	32,00,000	0	32,00,000

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	राजस्व	6,68,20,100	25,00,000	6,93,20,100
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	2,17,20,00,500	0	2,17,20,00,500
		पूंजी	100	0	100
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	71,26,100	0	71,26,100
32	जनसंपर्क विभाग से संबंधित व्यय	राजस्व	2,50,000	0	2,50,000
33	आदिमजाति कल्याण	राजस्व	100	0	100
34	समाज कल्याण	राजस्व	3,00,00,000	0	3,00,00,000
36	परिवहन	राजस्व	16,00,100	0	16,00,100
		पूंजी	10,00,00,000	0	10,00,00,000
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	4,80,96,00,100	0	4,80,96,00,100
		पूंजी	56,00,00,000	0	56,00,00,000
40	आयाकट विभाग से संबंधित व्यय	पूंजी	25,00,00,000	0	25,00,00,000
41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	राजस्व	3,25,65,07,600	0	3,25,65,07,600
		पूंजी	43,51,48,100	0	43,51,48,100
42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	पूंजी	5,20,00,500	0	5,20,00,500
43	खेल और युवक कल्याण	राजस्व	5,00,00,000	0	5,00,00,000
		पूंजी	1,79,00,000	0	1,79,00,000
44	उच्च शिक्षा	राजस्व	23,10,00,000	0	23,10,00,000
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	पूंजी	10,00,00,000	0	10,00,00,000
47	तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजन विभाग.	राजस्व	7,00,00,000	0	7,00,00,000
		पूंजी	4,00,00,000	0	4,00,00,000
48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान.	राजस्व	17,29,79,800	0	17,29,79,800
		पूंजी	37,83,82,000	0	37,83,82,000
50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	2,00,000	0	2,00,000
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	राजस्व	100	0	100

(1)	(2)		(3)		
			रुपये	रुपये	रुपये
55	महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय.	राजस्व	1,57,83,500	0	1,57,83,500
		पूंजी	31,57,00,000	0	31,57,00,000
56	ग्रामोद्योग	राजस्व	56,00,100	40,000	56,40,100
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय.	राजस्व	1,88,80,75,000	0	1,88,80,75,000
60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	पूंजी	8,04,10,000	0	8,04,10,000
64	अनुसूचित जाति उपयोजना	राजस्व	1,17,91,67,900	0	1,17,91,67,900
		पूंजी	20,97,34,000	0	20,97,34,000
65	विमानन विभाग	राजस्व	1,36,00,000	0	1,36,00,000
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	राजस्व	1,53,60,000	0	1,53,60,000
		पूंजी	22,73,60,100	0	22,73,60,100
68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन.	पूंजी	20,00,100	0	20,00,100
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण.	राजस्व	30,00,00,000	0	30,00,00,000
71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	राजस्व	1,42,75,000	0	1,42,75,000
75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं.	पूंजी	100	0	100
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय.	राजस्व	4,50,00,000	0	4,50,00,000
80	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	21,62,10,100	0	21,62,10,100
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	5,00,00,000	0	5,00,00,000
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता.	राजस्व	5,40,00,000	0	5,40,00,000
	योग -	**राजस्व**	**15,92,35,00,300**	**1,96,95,56,000**	**17,89,30,56,300**
		पूंजी	**3,15,79,62,200**	**0**	**3,15,79,62,200**
		वृहद योग	**19,08,14,62,500**	**1,96,95,56,000**	**21,05,10,18,500**

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 (1) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुर:स्थापित किया जा रहा है जो वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए छत्तीसगढ़ राज्य की संचित निधि पर अनुपूरक भारित व्यय और छत्तीसगढ़ सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किये गये अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर

दिनांक 15 जुलाई, 2013

डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

"संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.